अनुबंध
बैंक जमाराशियों पर नीति

1. <u>जमाराशि खातों के प्रकार</u>

यद्यपि बैंक द्वारा दिए गए विभिन्न जमा उत्पादों के अलग अलग नाम है, फिर भी, जमा उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य जमा योजनाओं की परिभाषा निम्नानुसार है।

- **माँग जमा** अर्थात् बैंक द्वारा प्राप्त जमा जिसे माँगने पर आहरण किया जा सकता है।

- **बचत जमा** अर्थात् एक प्रकार की मांग जमा है जो किसी विशिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या एवं रकमों के पतिबंधों के अधीन होती है।

- **सावधि जमा** अर्थात् बैंक द्वारा नियत अवधि के लिए जमा प्राप्त करते हैं, नियत अवधि की समाप्ति पर ही आहरण कर सकते हैं, तथा जिसमें आवर्ती/दुहरी हित जमाएं/अल्प जमाएं/सावधि जमाएं/मासिक आय प्रमाण-पत्र/तिमाही आय प्रमाण-पत्र आदि जमाराशियाँ शामिल हैं।

- **'नोटिस जमा'** यानि विशिष्ट अवधि हेतु सावधि जमा परंतु कम से कम एक पूरे बैंकिंग दिन की सूचना पर ही उसे आहरण किया जा सकता है।

- **'चालू खाता'** यानि एक प्रकार की मांग जमा जिसमें खाता के शेष पर कई बार आहरण कर सकते हैं, या किसी विशिष्ट सहमत रकम तक आहरण किया जा सकता है जिसमें अन्य जमा खाते भी शामिल होंगे जो न तो बचत जमा है न ही सावधि जमा है ।

2. <u>खाता खोलना तथा जमा खातों का परिचालन</u>

(ए).(1) अर्ह व्यक्ति/व्यक्तियों एवं कुछ संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर प्राप्त सलाहनुसार) बचत खाता खोला जा सकता है।

(2) चालू खातों को व्यक्तियों/भागीदार फर्म / निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/हिन्दू अविभक्त परिवारों / विनिर्दिष्ट संस्थाओं/संघों/ट्रस्टों आदि द्वारा खोला जा सकता है।

(बी). <u>के वाई सी मानदंड</u>

1)बैंक, किसी भी जमा खाते को खोलने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' के अंतर्गत दिए मार्गदर्शन या अन्य शर्तों या बैंक द्वारा अन्य प्रकियाओं को सावधानी से परखेगा। अगर किसी भावी जमाकर्ता के खाता खोलने की स्वीकृति का उच्च स्तर द्वारा निर्णय किया जाना हो तो, उसे खाता खोलने में हुए विलंब का कारण बताया जाएगा तथा जल्द से जल्द से बैंक के अंतिम निर्णय से उसे अवगत कराया जाएगा।

2) बैंक द्वारा ,जमा खाता खोलते समय, सार्थक सचेतना प्रकिया के अनुरूप, भावी ग्राहक को स्वीकारने हेतु ग्राहक स्वीकरण नीति के शर्तों के अनुसार व्यक्ति की पहचान, पता का सत्यापन, उसके उद्योग की पुष्टि एवं आय के स्रोत आदि की सूचना ली जाती है। इसके साथ-साथ, 'अपने ग्राहक जानिए' के अंतर्गत दी गई ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति से भावी जमाकर्ता का परिचय उपलब्ध कराना तथा इस खाते के परिचालन / खोलनेवाले व्यक्ति/यों के नवीन छायाचित्र भी उपलब्ध कराना भी सार्थक सचेतना प्रकिया का एक हिस्सा है।

3) सचेतना प्रकिया की आवश्यकता के अतिरिक्त के वाई सी मानदंडों के तहत बैंक को कानूनी रूप से पैन या जी आई आर संख्या या विकल्प के रूप में आयकर अधिनियम/नियम के तहत फार्म स.60 एवं 61 में घोषणा पत्र पाप्त करना होगा।

4) बैंकों को ,नियामक मानदंडों के अनुसार,ग्राहकों की परिचालन की निगरानी के लिए,जोखिम के आधार पर ग्राहकों को वर्गीकृत करके प्रोफाइल तैयार करना चाहिए। अगर भावी ग्राहक ,आवश्यक सूचना / ब्यौरों को देने में असमर्थ / इच्छुक नहीं है तो बैंक खाता खोल नहीं सकता है। अगर वर्तमान ग्राहक बैंक से मांगी गई सांविधिक सूचना देने

में असमर्थ है तो ,बैंक, ग्राहक को सूचना देने के बाद ही उसके खाते को बंद करेगा।

5) पहचान तथा पता का अद्यतन एवं पुष्टीकरण तथा के वाई सी की अतिरिक्त सूचना के संग्रहण की प्रक्रिया तो चलती रहेगी। खाता खोलने के बाद ग्राहकों के पहचान के आंकडों (इस में छायाचित्र भी शामिल है के आवधिक अद्यतन के कार्य को शाखाओं द्वारा किया जाएगा। ऐसे अद्यतन की आवधिकता का कम जोखिम श्रेणी ग्राहकों हेतु 5वर्षों में एक बार तथा ,उच्च एवं मध्यम जोखिम श्रेणी ग्राहकों का कम से कम 2 वर्ष में एक बार किया जाए।

6) बैंक,समाज की वंचित वर्ग के लिए आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रतिबद्ध है। इन को नो-फ्रिल खाते के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं दी जाएंगी तथा इन खातों को नियामक मानदंडों के ग्राहक स्वीकरण शर्तों में छूट देकर खोला जाएगा।

(सी) **ग्राहक सूचना**

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त सूचना को, अपने सेवाओं या उत्पादों की प्रति बिकी के लिए प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अगर बैंक इस सूचना का प्रयोग करना चाहता है तो, उसे खातेदार की अनुमति पर करना होगा।

(डी) **ग्राहकों के खातों की गोपनीयता**

बैंक, ग्राहक की अनुमति के बिना ग्राहक के खाते के ब्यौरे/विवरणों को तृतीय पक्षकार या पार्टी को नहीं बताएगा, फिर भी, अपवादस्वरूप बैंक जनता के प्रति कर्तव्य निर्वाह के लिए कानून के तहत सूचना तथा जब बैंक के हित के लिए सूचना को प्रकट करना आवश्यक हो, तब सूचना दे सकता है।

(इ) निर्धारित सूचना के ब्यौरे/ प्रलेखों की सूची

बैंक द्वारा अपने भावी जमाकर्ता को, खाता खोलने के फार्म तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इन में दी जानेवाली सूचना के ब्यौरे तथा आलेख हेतु या सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले प्रलेख होंगे, खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी से अपेक्षित है कि वह प्रकियात्मक औपचारिकताओं को समझाए तथा जब संभावी ग्राहक जमा खाता खोलने हेतु स्पष्टीकरण मांगता है तब उन्हें उसे उपलब्ध कराना होगा।

(एफ) प्रभार लगाना तथा न्यूनतम राशि का रखरखाव

बैंक सामान्यत: बचत बैंक खाता तथा चालू जमा खाता जैसे खातों के रखरखाव हेतु न्यूनतम शेष नियत करता है जो ऐसे खातों के परिचालन के नियम है। अगर खातों में न्यूनतम राशि न रखी गई तो बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर सेवा प्रभार को लगाया जाता है। बैंक दिए गए समय हेतु बचत बैंक खातों से नकद आहरणों, लेन-देन की संख्या आदि पर भी रोक लगा सकता है। उसी तरह बैंक चेक बुकों, खाता का अतिरिक्त विवरण, पासबुक की अनुलिपि, पन्ना प्रभार आदि को जारी करने हेतु प्रभार निर्धारित कर सकता है। बैंक द्वारा भावी जमाकर्ता को खाता खोलते समय खाता परिचालन संबंधी शर्तों एवं विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रभारित किये जानेवाले सेवा प्रभारों की सूची के ब्यौरे सूचित किये जाएंगे।

(जी) संयुक्त खाता

1. एकलव्यक्ति द्वारा अपने नाम में या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा अपने नाम में (संयुक्त रूप से) खाते खोले जा सकते हैं।
2. संयुक्त खाता का परिचालन : एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से खोले गए खाते का परिचालन कलव्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप (नाबालिग के खाते के अलावा) से किया जा सकता है। सभी खाताधारकों की सहमति से खाता परिचालन के आदेश को आशोधित/सुधारा जा सकता है।
   उपरोक्त खातों के शेषराशि के निपटान हेतु संयुक्त खाताधारक निम्न अनुदेशों में से किसी एक को दे सकते हैं। '
3. **दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी** ' या ' **किसी एक या उत्तरजीवी** '। सभी खाताधारकों की सहमति से इस अनुदेश में सुधार किया सकता है।
4. बैंक सभी संयुक्त खातेदारों के अनुरोध पर, स्थिति के अनुसार संयुक्त खातेदारों के नाम/मों को जोड या हटा सकते हैं या एक जमाकर्ता को अन्य व्यक्ति के नाम को संयुक्त खातेदार के साथ जोडने हेतु अनुमति दे सकता है।

(एच) अन्य व्यक्ति द्वारा खाते का परिचालन

जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक, उसके द्वारा दिए गये उस पत्र/मुख्तारनामे का पंजीकरण करेगा, जिसमें उसने अपने खाते को परिचालित करने के लिए अन्य व्यक्ति को पाधिकृत किया है।

(आइ) नामंकन सुविधा

क) व्यक्तियों तथा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठनों द्वारा खोले खातों के लिए भी नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन मात्र एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है।

ख) नामांकन को खातेधारक कभी भी / किसी भी समय रद्द या परिवर्तित कर सकता है तथा नामांकन करने / परिवर्तन /रद्द करते समय, तीसरी पार्टी की साक्षी उपस्थित होना बहुत जरूरी है। खातेधारक/कों की सहमति पर नामांकन का आशोधन किया जा सकता है।

ग) नाबालिग के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है।

घ) बैंक सभी खाताधारकों से नामांकन सुविधा उपलब्ध करने की सिफारिश करता है। अत: जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभ बताए जाएंगे/सूचित किए जाएंगे।

ङ) जमाकर्ता/ओं की मृत्यु पर, विधिक उत्तराधिकारियों के न्यासी के रूप में नामिती खाते के बकाया शेष को प्राप्त करेगा।

च) अगर व्यक्ति किसी को भी नामित नहीं करना चाहता है,तो ऐसे मामले में जमाकर्ता से विशेष पत्र मांगा जाए। अगर वह ऐसा एक पत्र देने से इन्कार करता है तो, इसे खाता खोलने के फार्म में दर्ज किया जाए।

छ) ग्राहक के अनुरोध पर,बैंक नामिती के नाम को पासबुक /खाते की विवरणी / एफडीआर रसीद में सुचित करेंगे।

(जे) पासबुक /खाते की विवरणी

बचत बैंक और चालू खातेदारों को खाता खोलने की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवधिक रूप से बैंक द्वारा लेखा-विवरण दिया जाएगा। विकल्पत के रूप में, बैंक इन खातेधारों को पासबुक जारी कर सकता है।

(के) जमाखातों का अंतरण

बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खाते को बैंक की किसी भी शाखा को अंतरित कर सकता है।

(एल) **भुगतान रोको सुविधा :**

बैंक, जमाकर्ताओं द्वारा जारी चेक के भुगतान के रोकने के अनुदेशों को स्वीकार करता है तथा इस संबंध में निर्धारित प्रभारों की वसूली की जाएगी।

(एम) **निष्किय खाते :**

अगर बचत बैंक खाता तथा चालू खाता में पिछले 2 वर्षों से कोई परिचालन नहीं हुआ है तो इसे निष्क्रिय / अप्रवर्ती खाता माना जाएगा।

अगर ग्राहक के निदेशानुसार मीयादी जमा राशि के ब्याज को बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है तो, इसे ग्राहक द्वारा उत्प्रेरित परिचालन जैसे माना जाएगा। इसे तब तक परिचालित खाता माना जाए जब तक मीयादी जमा राशि के ब्याज को बचत बैंक खाते जमा किया जाता है।

निष्किय/अप्रवर्ती खातों पर लगाए प्रभारों की सूचना जमाकर्ता को दी जाएगी। जमाकर्ता, बैंक से, इन खातों में परिचालन करने के लिए सकिय करने का अनुरोध कर सकता है।

(एन) ब्याज की अदायगी

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार बचत बैंक खातों पर समय समय पर निर्धारित दर पर ब्याज अदा किया जाएगा। जमाराशियों के ब्याज दरों को, शाखा के परिसर के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

<u>दि: 01.04.2010 से बैंक द्वारा बचत बैंक खाता(देशी /एनआरई /एनआरओ) पर दिए गए ब्याज की गणना को दैनिक उत्पद के आधार पर किया जा रहा है।</u>

(ओ) नाबालिगों के खाते :

नाबालिग बचत बैंक खाता खोल सकता है और उसका परिचालन नैसर्गिक संरक्षक द्वारा किया जा सकता है या स्वयं नाबालिग इसका परिचालन कर सकता है। नाबालिगों के ऐसे में एक अन्य बालिग भी संयुक्त खाता धारक बन सकता है।

अगर वह 10 वर्ष से अधिक आयु का हो तो नाबालिग स्वयं ही बचत बैंक खाता खोल सकता है ।ऐसे खातों के खाता धारकों को चेकबुक जारी नहीं किया जाएगा और इन में किए जाने वाले परिचालन में बैंक द्वारा समय समय पर लगाए गए प्रतिबद्धताएं लागू होंगी।

नाबालिग द्वारा नैसर्गिक संरक्षक या माता को संरक्षक रूप में रखकर बचत बैंक खाते खोले जा सकते हैं। (इसे नाबालिग खाता कहते हैं)

नाबालिगों के नाम में खोले गए खातों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी जाएगी।

अत: नाबालिग के वयस्क हो जाने पर उसे अपने खाते में रखी शेष राशि की पुष्टि करनी होगी और अगर नैसर्गिक संरक्षक/संरक्षक द्वारा खाते का परिचालन किया जाता है तो, नैसर्गिक संरक्षक द्वारा नाबालिग के विधिवत् सत्यापित नए नमूना हस्ताक्षर को प्राप्त किया जाएगा तथा इसे भावी परिचालनों के लिए अभिलेखित किया जाएगा ।

(पी) अशिक्षित व्यक्ति का खाता

बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार अशिक्षित व्यक्ति चालू खाता के अलावा जमा खाता भी खोल सकता है। ऐसा व्यक्ति खाता खोल सकता है बशर्ते बैंक तथा जमाकर्ता दोनों से परिचित व्यक्ति को अपने साथ बैंक लाता है । अनपढ़ व्यक्तियों के नाम में जमाराशि को स्वीकारने से पूर्व उन्हें,बैंक के नियमों का स्पष्ट रूप से वाकिफ कराना होगा। पसाबुक ।खाता खोलने के फार्म पर खाता धारक के छायाचित्र को लगाना होगा।

दो अशिक्षित व्यक्ति संयुक्त खाता खोल सकते हैं। सामान्यत: ऐसे बचत बैंक खाते हेतु चेक बुक की कोई सुविधा नहीं दी जाती। खातेदार को जमा राशि तथा/या ब्याज के आहरण/अदायगी के समय, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपने अंगूठे का निशान या चिह्न लगाना है तथा प्राधिकृत अधिकारी को उस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना है। बैंक खातेदार को दी जानेवाली पासबुक आदि की सुरक्षा की आवश्यकता बताएगा। बैंक अधिकारी (अशिक्षित) अनपढ़/नेत्रहीन व्यक्ति को खाते की शर्तों के ब्यौरे देने होंगे।

नेत्रहीन व्यक्ति का खाता

1 नेत्रहीन व्यक्ति को बैंक द्वारा दिए गए सभी बैंकिंग उत्पाद दिए जाए ।
2 शाखाओं को चाहिए कि वे खाता खोलने हेतु नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भी वही प्रकिया को अपनाएं जो अन्य ग्राहको के लिए अपनाते हैं ।
3 शाखाएं, नेत्रहीन व्यक्तियों को अशिक्षित व्यक्तियों के जैसे न देखें।
4 शाखाएं उन नेत्रहीन ग्राहकों को भी अपनी सेवाएं दें जो अपने बैंक खाते के परिचालन के लिए अंगूठे का निशान या चिह्न का प्रयोग करते हैं1
नेत्रहीन व्यक्ति को एकल रूप से या संयुक्त रूप से, अन्य एवं नेत्रहीन व्यक्ति(यों) के साथ,भी खाता खेलने की अनुमति दी जाए।
5 नेत्रहीन ग्राहकों का निर्धारित प्रलेखीकरण भी अन्य ग्राहकों के जैसे ही हो।
5. बैंक,नेत्रहीन खातेदार द्वारा खाता खोलने पर चेकबुक की सुविधा भी प्रदान करेगा तथा अन्य ग्राहकों के
जैसे दी जानेवाली पासबुक आदि की सुरक्षा की आवश्यकता बताएगा।

(क्यू) अगर, जमाराशि योजनाओं तथा उनसे संबंधित सेवाओं में कोई परिवर्तनश्ख् हो तो उसे तुरंत सूचित करें और प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें।

II मीयादी जमाराशियॉं

(ए) खाता खोलना

सावधि जमा खातों को व्यक्तियों/भागीदार फर्म /निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों / हिन्दू अविभक्त परिवारों / विनिर्दिष्ट संस्थाओं / संघों / ट्रस्टों सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा स्थापित प्राधिकृत विभागों आदि द्वारा खोला जा सकता है।

(बी) <u>ब्याज का भुगतान / अदायगी</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के भीतर बैंक द्वारा सावधि जमाराशि की ब्याज दरों को निर्धारित किया जाएगा । मीयादी जमाराशियों पर त्रैमासिक अंतराल पर ब्याज का परिकलन किया जाएगा तथा मासिक जमा योजना के संबंध में ब्याज का

भुगतान बट्टागत मूल्य के हिसाब से मासिक आधार पर किया जाएगा। भारतीय बैंक संघ के सूत्र एवं करारमूलक शुल्क प्रणाली पर मीयादी जमाराशियों के ब्याज का परिकलन किया जाता है।

जमाराशियों के ब्याज दरों एवं प्रभारों को, शाखा के परिसर के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

बैंक द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी :

प्रवर्तन प्राधिकारों के आदेशों पर बैंक के अधिकारियों /शाखा के स्टॉफ/कार्यालयों द्वारा ग्राहक को बैंक द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज की अदायगी की प्रक्रिया बताई जाएगी।

(सी) परिपक्वता से प्राप्त राशियों का निपटान

मीयादी जमाराशि खातेदार—जमाराशि की परिपक्वता तारीख पर जमाराशि का नवीकरण कराना या जमाराशि को बंद करना – अपनी जमाराशि को जमा करते समय उनकी परिपक्वता से प्राप्त राशियों का निपटान की सूचना दे सकते हैं। सावधि जमा खाताधारक अपनी जमाराशि को जमा करते समय खाता समाप्ति या जमाराशि नवीकरण की परिपक्वता की तारीख पर अवधि बढ़ाने के बारे में निदेश/आदेश दे सकता है।
ऐसे अनुदेशों को देने पर बैंक सावधि जमा खाता की परिपक्वता के दिनांक से 15 दिन पहले, जमाकर्ता को इसकी सूचना देकर उनसे अनुदेश/निदेश प्राप्त करेगा।
जब कभी भी ग्राहक इन जमाराशियों पर (नवीकरण के लिए नहीं) पुन:भुगतानके लिए मांग करता है तो मीयादी जमाराशि की अतिदेय की प्राप्तियों के कारण सभी परिपक्व जमाराशि/ अदावी जमाराशि/निष्क्रिय जमाराशि पर बचत बैंक पर देय ब्याज दर देय है,जो दि: 22.08.2008 से प्रभावी है।

अगर प्रवर्तन प्राधिकारों के आदेशों पर बैंक ने मीयादी जमाराशियों को अवरुद्ध किया है तो, जमाकर्ता को जमाराशि के नवीरिण की अवधि की सूचना देनी है । अगर जमाकर्ता जमाराशि के नवीरिण की सूचना नहीं देता है तो बैंक जमाराशि को मूल अवधि की अवधि के लिए नवीकृत करेगा।

(डी) संयुक्त खाताधारक के मामले मे आदेश

मीयादी जमाराशियों की संयुक्त खाताधारक के मामले मे आदेश () दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी या () किसी एक या उत्तरजीवी लागू होगा या मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता पर या के बाद परिचालित होते हैं। पर दस आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से इस अनुदेश में सुधार किया सकता है बशर्ते कि इस बात की पुष्टि की जाए कि मृत खातेदार के खाते से भुगतान करने हेतु न्यायालय के प्राधिकारी से ऐसा कोई आदेश बैंक को नहीं दिया गया है।

(इ) ब्याज भुगतान पर श्रोत पर का की कटैती (टी डी एस)

बैंक श्रोत पर कर की कटौती करने में सांविधिक तौर पर बाध्य होगा, अगर, एक व्यक्ति की जमाराशियों पर प्रदत्त/देय कुल ब्याज की रकम आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित राशि से अधिक हो। अत: शाखा कर के लिए घटाई गई रकम हेतु कर कटौती प्रमाण पत्र (टी डी एस सर्टिफिकेट) जारी करेगा। अगर जमाकर्ता को टी डी एस से छूट प्राप्त है तो वह हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही एक निर्धारित फार्मेट में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

(एफ) मीयादी जमाराशि का समय पूर्व आहरण

बैंक, जमाकर्ता के अनुरोध पर, अपने विवेकाधिकार के अनुसार, सावधि जमा राशि का, समय अवधि समाप्ति पूर्व आहरण की अनुमति दे सकता है। बैंक, जमाराशि के पूर्वाहरण हेतु अपने दंड ब्याज दर नीति को घोषित कर सकता है। बैंक को चाहिए कि वह जमाराशि की दर के साथ लागू दर की जानकारी जमाकर्ताओं को दे ।

(जी) मीयादी जमाराशि का समयपूर्व नवीकरण

अगर जमाकर्ता अपनी मौजूदा सावधि जमाराशि खाते को समय पूर्व समाप्त करके इस जमाराशि की नवीकरण की इच्छा प्रकट करता है तो, बैंक उसे नवीकरण तारीख पर लागू दर पर नवीकरण की अनुमति देगा, बशर्ते इस जमा राशि को मूल जमाराशि की बाकी अवधि से अधिक अवधि हेतु नवीकृत किया जाए। बैंक नवीकरण हेतु जमाराशि के समयपूर्व समापन पर संविदागत दर पर न देकर वह ब्याज देगा जो जमाराशि को बैंक में रखी गई अवधि पर लागू होता है।

(हेच) परिपक्वता पूर्व जमाराशि का परिवर्तन

जहाँ जमाराशि के तहत एक जमाराशि योजना यानि मीयादी जमाराशि,एसएसडी,विकास नकद प्रमाणपत्र,पिग्मी 1928 योजना, परिपक्वता से पहले किसी अन्य जमाराशि में परिवर्तित होता हे तो इसे समयपूर्व बंद माना जाएगा। तदनुसार, ऐसी जमाराशियों को दिए गए ब्याज पर संबद्ध योजनाओं पर लागू दंड लागू होंगे।

(आइ) अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण

जब सावधि जमाराशि को परिपक्वता पर नवीकृत किया जाता है तो जमाकर्ता द्वारा निर्धारित समय हेतु नवीकृत जमाराशि पर परिपक्व तारीख पर लागू ब्याज ही दिया जाएगा। अगर परिपक्व तारीख के बाद नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होते है, तो ऐसी अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण उनकी परिपक्वता की तारीख से प्रभावी होगा तथा इनका ब्याज दर वही होगा जो देय तारीख को लागू होता है, बशर्ते ऐसे आवेदन, परिपक्वता की तारीख के 14 दिनों के बाद नवीकृत किए जाते हैं, तो उस अतिदेय अवधि हेतु ब्याज को, बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर प्रदत्त किया जाएगा।

(जे) मीयादी जमाराशि का स्वत:पुन:नवीकरण

जमाकर्ता जमाराशि की पूर्व परिपक्वता के समय या मीयादी जमाराशि खाता खोलते समय मीयादी जमाराशि के नवीकरण पर निम्नलिखित विकल्प दे सकता है:

क) परिपक्वता तारीख को प्रचलित ब्याज दर के समरूपी अवधि हेतु जमाराशि की परिपक्वता पर ब्याज सहित / ब्याज रहित स्वत: नवीकरण की अनुमति। यह भविष्य में जमाराशि के नवीकरण पर लागू नही होंगे।

ख) परिपक्वता तारीख को प्रचलित ब्याज दर के समरूपी अवधि हेतु जमाराशि की परिपक्वता पर ब्याज सहित / ब्याज रहित नवीकरण की अनुमति।

ग) बैंक से अनुरोध करना कि जमाराशि की परिपक्वता को या के बाद प्राप्त विशेष अनुदेशों के बाद ही जमाराशि का नवीकरण करना।

अगर जमाकर्ता स्वत:नवीकृत जमाराशि को समयपूर्व बंद करना चाहता है या स्वत:पुन: नवीकरणके बाद परिपक्वता अवधि में परिवर्तन चाहता है तो,बैंक उस जमाराशि खाता को बंद करेगा तथा बैंक नीति के तहत समयपूर्व बंद हेतु निर्धोरित दंड को घटाकर जमाराशि की समाप्त अवधि पर लागू ब्याज को अदा करेगा।

नीति मद (I) में दिए अनुसार नवीकृत मीयादी जमाराशि पर लागू ब्याज दिया जाएगा। जहाँ मीयादी जमाराशियाँ परिपक्वता पर/के बाद नवीकृत नहीं की जाती हैं,तो परिपक्वता की तारीख पर प्रचलित बचत बैंक के ब्याज दर देय है।

(के) जमाराशियों पर अग्रिम

बैंक, जमाकर्ता/ओं के सावधि जमाराशियों पर ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु आवेदन को जमाकर्ता/ओं द्वारा आवश्यक पतिभूति प्रलेखों के विधिवत रूप से निष्पादन पर विचार कर सकता है। बैंक नाबालिग के नाम में रखी जमाराशि पर ऋण देने पर विचार कर सकता है, यद्यपि जमाकर्ता-आवेदक को उचित घोषणा करनी होगी की ऋण को नाबालिग के हित के लिए लिया जा रहा है।

III दिवंगत जमाकर्ता के जमा खाते के देयों का निपटान

क) अगर एकल जमाकर्ता नेएकल जमाराशि/ संयुक्त जमाकर्ताओं ने संयुक्त जमाराशि को बैंक में नामांकन का पंजीकरण किया है तो बैंक द्वारा नामिती आदि की पहचान से संतुष्टि पर ही दिवंगत जमाकर्ता के खाते में शेष बकाया को नामिती के खाते में अंतरित अदा किया जाएगा।

ख) संयुक्त जमा खाते में अगर एक संयुक्त खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों एवं उत्तरजीवी जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से भुगतान करना है। यद्यपि, अगर संयुक्त जमा खातेदार ने खाते में शेष के निपटान हेतु ' दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी पूर्ववर्ती/उत्तरवर्ती या उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में किसी एक या उत्तरजीवी आदि का अधिदेश दिया है तो मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी कागजातों के प्रस्तुतीकरण में होनेवाले विलंब से बचने के लिए भुगतान को अधिदेशानुसार किया

जाएगा।

ग) जहाँ भी नामांकन का अभाव है तथा दावेदारों में विवाद नहीं है वहाँ बैंक कानूनी उत्तराधिकारियों के संयुक्त आवेदन तथा हर्जाना पर या विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी ओर से भुगतान स्वीकार करने हेतु अधिदेशित व्यक्ति को, बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विधिक प्रलेखों पर जोर दिए बिना, शेष बकाया को मृतक के खाते में जमा करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामान्य जमाकर्ताओं के विधिक औपचारिकताओं के समापन में होनेवाले विलंब का सामना न करना पडे।

मृत व्यक्तियों की मीयादी जमाराशि पर देय ब्याज

अगर जमा राशि की परिपक्वता की तारीख से पूर्व ही जमाकर्ता की मत्यु हो जाती है तथा परिपक्वता तारीख के बाद ही रकम का दावा किया जाता है तो, बैंक परिपक्वता तारीख तक, संविदात्मक दर पर ब्याज अदा करेगा। बैंक अपनी नीति के अनुसार, परिपक्वता तारीख से अधिक तक की अवधि हेतु बैंक में रखी जमा राशि पर, परिपक्वता तारीख से भुगतान की तारीख तक, परिपक्वता तारीख को लागू दर पर साधारण ब्याज अदा करेगा।

यद्यपि, अगर परिपक्वता तारीख के बाद जमाकर्ता की मत्यु हो जाती है तो बैंक, परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक, बचत जमा राशि की परिपक्वता तारीख पर उपलब्ध ब्याज दर अदा करेगा।

(v) जमाराशियों हेतु बीमा कवर

सभी बैंक जमाराशियों को, कुछ सीमाओं और शर्तों पर, निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दी जानेवाली बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त है। अत: जमाकर्ता को चालू बीमा सुरक्षा के ब्यौरा को उपलब्ध कराया जाएगा।

(VI) **शिकायतों का निवारण :**

बैंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं से अगर जमाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो, उन्हें इस संबंध में बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत निवारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी से बात करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। शिकायत निवारण हेतु आंतरिक व्यवस्था के ब्यौरों को शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाता है। अत:, शिकायत दर्ज करने हेतु प्रकिया से संबंधित सूचना को शाखा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर जमाकर्ता को शिकायत की तारीख से 60 दिनों के अंदर बैंक से उत्तर प्राप्त नहीं होता है या वह बैंक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है।